भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2900
21.03.2022 को उत्तर के लिए

अवैध शिकार की घटनाएं

2900. श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध शिकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है;

(ख) ओडिशा सहित देश में बाघों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा देश में बाघों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों के शिकार और बाघ की खाल की तस्करी के संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) जंगली जानवरों और उनके अंगों के अवैध शिकार और तस्करी पर नियंत्रण सहित वन और वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों की मृत्यु का विवरण **अनुबंध-I** में है।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं:

(i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। अधिनियम किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान करता है जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध करने के लिए किया जाता है। भारत में पाई जाने वाली दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों, जैसे बाघ, हिम तेंदुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा डॉल्फिन, डुगोंग, आदि को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और पर्यावास में सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) स्थानीय समुदायों को पारि-विकास गतिविधियों के माध्यम से संरक्षण उपायों में शामिल किया जाता है जो वन विभागों को वन्यजीवों के संरक्षण में मदद करते हैं।

(iv) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) जंगली जानवरों और जानवरों की वस्तुओं के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

(v) डब्ल्यूसीसीबी द्वारा वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर संबंधित राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को निवारक कार्रवाई के लिए चेतावनियां और परामर्शिकाएं जारी की गई थीं।

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फरवरी 2021 में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन पर एक परामर्शिका जारी की है उसमें भी वन्यजीवों के आवास में सुधार के उपाय शामिल हैं।

(ख) देश में बाघों की संख्या ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **अनुबंध-II** में है।

(ग) बाघ बहुल राज्यों को बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'बाघ परियोजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत की गई गतिविधियों में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावास प्रबंधन, संरक्षण, पारि-विकास, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा विकास, और स्वैच्छिक गांव स्थानांतरण शामिल हैं।

(घ) जंगली जानवरों और उनके अंगों के शिकार और तस्करी पर नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन और पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी (रिकार्ड) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रमांक	वर्ष	बाघ मामलों की संख्या
1	2019	25
2	2020	13
3	2021	26

****

अनुबंध- I

'अवैध शिकार की घटनाओं' के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब के द्वारा दिनांक 21.03.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

***

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों की मृत्यु का विवरण

राज्य	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021
आंध्र प्रदेश	1	1	1
असम	5	6	6
बिहार	1	1	4
छत्तीसगढ	1	1	4
गोवा	0	4	0
गुजरात	1	0	0
झारखंड	0	1	0
कर्नाटक	12	12	15
केरल	1	10	6
मध्य प्रदेश	31	29	42
महाराष्ट्र	18	16	27
राजस्थान	3	3	1
तमिलनाडु	7	8	4
तेलंगाना	2	0	4
उत्तर प्रदेश	4	9	9
उत्तराखंड	7	4	3
पश्चिम बंगाल	2	1	1
कुल	**96**	**106**	**127**

***

अनुबंध- II

'अवैध शिकार की घटनाओं' के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब के द्वारा दिनांक 21.03.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018 के लिए देश में बाघ परिदृश्य से संबंधित बाघ अनुमान का विवरण

राज्य	**बाघ जनसंख्या**
शिवालिक-गंगा का मैदानी परिदृश्य परिसर	
उत्तराखंड	442
उत्तर प्रदेश	173
बिहार	31
मध्य भारतीय लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स और पूर्वी घाट लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स	
आंध्र प्रदेश	48
तेलंगाना	26
छत्तीसगढ	19
मध्य प्रदेश	526
महाराष्ट्र	312
उड़ीसा	28
राजस्थान	69
झारखंड	5
पश्चिमी घाट लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स	
कर्नाटक	524
केरल	190
तमिलनाडु	264
गोवा	3
उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान	
असम	190
अरुणाचल प्रदेश	29
सुंदरबन	88
कुल	**2967**

****